

सी.जी.-डी.एल.-अ.-22092023-248885 CG-DL-E-22092023-248885

### असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i) PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 539] No. 539] नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 22, 2023/भाद्र 31, 1945 NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 22, 2023/BHADRA 31, 1945

## उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय

## (उपभोक्ता मामले विभाग)

# अधिसूचना

नई दिल्ली, 21 सितम्बर, 2023

सा.का.नि. 681(अ).—केंद्रीय सरकार, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का 35) की धारा 101 की उपधारा (2) के खंड (ढ) और खंड (ब) के साथ पिठत धारा 29 और धारा 43 द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धित, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्यागपत्र और हटाना) नियम, 2020 में संशोधन करने के लिए निम्नलिखित नियम बनाती है, अर्थात्: -

- 1. (1) इन नियमों का संक्षिप्त नाम उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धित, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्यागपत्र और हटाना) (संशोधन) नियम, 2023 है।
  - (2) ये राजपत्र में उनके प्रकाशन की तारीख को लागू होंगे।
- 2. उपभोक्ता संरक्षण (राज्य आयोग और जिला आयोग के अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति के लिए अर्हता, भर्ती की पद्धित, नियुक्ति की प्रक्रिया, कार्यकाल, पद से त्यागपत्र और हटाना) नियम, 2020 (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त नियम कहा

गया है) में नियम 3 के उप- नियम (2) में, खंड (ख) में, "कम से कम बीस वर्ष" शब्दों के स्थान पर "कम से कम दस वर्ष" शब्द रखे जाएंगे।

- 3. उक्त नियम के, नियम 4 के, उप-नियम (2) में,
  - खंड (ग) में , "कम से कम पंद्रह वर्ष" शब्दों के स्थान पर, "कम से कम दस वर्ष" शब्द रखे जाएंगे।
- 4. उक्त नियम के, नियम 6 में, उप-नियम (9) के स्थान पर निम्नलिखित उप-नियम रखा जाएगा, अर्थात्:-
  - "(9) चयन समिति, निम्नलिखित तालिका में यथा विनिर्दिष्ट दो पेपरों वाली लिखित परीक्षा में प्रदर्शन के आधार पर आवेदक का चयन करेगी, जिसमें प्रत्येक पेपर में अर्हक अंक पचास प्रतिशत होंगे और 50 अंकों की मौखिक परीक्षा होगी।

पेपर	विषय	परीक्षा की प्रकृति	अधिकतम अंक	अवधि
पेपर - I	(क) सामान्य ज्ञान और सामयिक मामले (ख) भारत के संविधान का ज्ञान (ग) अनुसूची में यथाउपदर्शित विभिन्न उपभोक्ता संबंधी विधियों का ज्ञान	वस्तुनिष्ठ प्रकार	100	2 घंटे
पेपर –॥	(क) व्यापार और वाणिज्य , उपभोक्ता संबंधी मुद्दों या सार्वजनिक मामलों से चुने गए विषयों पर एक निबंध (ख) आदेशों के विश्लेषण और तर्कपूर्ण प्रारूपण की योग्यताओं का परीक्षण करने के लिए उपभोक्ता मामले के संबंध में एक मामला अध्ययन।	वर्णनात्मक प्रकार	100	3 . घंटे

5. उक्त नियम में, नियम 10 के पश्चात् और उपाबंध से पूर्व, निम्नलिखित अनुसूची अंत:स्थापित की जाएगी, अर्थात्:-

" अनुसूची

[नियम 6(9) देखें]

- 1. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 (2019 का 35)
- 2. विधिक मापविज्ञान अधिनियम , 2009 (2010 का 1)
- 3. भारतीय मानक ब्यूरो अधिनियम, 2016 (2016 का 11)
- 4. प्रतिस्पर्धा अधिनियम, 2002 (2003 का 12)
- 5. खाद्य सुरक्षा और मानक अधिनियम, 2006 (2006 का 34)
- 6. औषधि और प्रसाधन सामग्री अधिनियम, 1940 (1940 का 23)

- 7. माल विक्रय अधिनियम, 1930 (1930 का 3)
- 8. भू-संपदा (विनियमन और विकास) अधिनियम, 2016 (2016 का 16)
- 9. विद्युत अधिनियम, 2003 (2003 का 36)
- 10. बीमा अधिनियम, 1938 (1938 का 4)।"।

[फा. सं. जे-18/15/2021-सीपीयू]

अनुपम मिश्रा, संयुक्त सचिव

टिप्पण: मूल नियम भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग- 2, खंड 3, उप-खंड (i) में तारीख 15 जुलाई, 2020 के संख्यांक सा.का.नि. 452 (अ) द्वारा प्रकाशित किए गए थे।

### MINISTRY OF CONSUMER AFFAIRS, FOOD AND PUBLIC DISTRIBUTION

(Department of Consumer Affairs)

### NOTIFICATION

New Delhi, the 21st September, 2023

- G.S.R. 681(E).—In exercise of the powers conferred by sections 29 and 43, read with clauses (n) and (w) of sub-section (2) of section 101 of the Consumer Protection Act, 2019 (35 of 2019), the Central Government hereby makes the following rules to amend the Consumer Protection (Qualification for appointment, method of recruitment, procedure of appointment, term of office, resignation and removal of the President and members of the State Commission and District Commission) Rules, 2020, namely:
- 1. (1) These rules may be called the Consumer Protection (Qualification for appointment, method of recruitment, procedure of appointment, term of office, resignation and removal of the President and members of the State Commission and District Commission) Amendment Rules, 2023.
  - (2) They shall come into force on the date of their publication in the Official Gazette.
- 2. In the Consumer Protection (Qualification for appointment, method of recruitment, procedure of appointment, term of office, resignation and removal of the President and members of the State Commission and District Commission) Rules, 2020 (hereinafter referred to as the said rules), in rule 3, in sub-rule (2), in clause (b), for the words "not less than twenty years", the words "not less than ten years" shall be substituted.
- 3. In the said rules, in rule 4, in sub-rule (2), in clause (c), for the words "not less than fifteen years", the words "not less than ten years" shall be substituted.
  - 4. In the said rules, in rule 6, for sub-rule (9), the following sub-rule shall be substituted, namely:-
- "(9) The Selection Committee shall short-list the applicant on the basis of performance in a written test consisting of two papers as specified in the table below, with the qualifying marks of fifty percent in each paper and there shall be *viva voce* of 50 marks.

Paper	Topics	Nature of test	Maximum marks	Duration
Paper-I	(a) General Knowledge and current affairs	Objective Type	100	2 hours
	(b) Knowledge of Constitution of India (c) Knowledge of various Consumers related Laws as indicated in the Schedule			
Paper-II	(a) One essay on topics chosen from issues on trade and commerce consumer related issues or Public Affairs  (b) One case study of a	Descriptive Type	100	3 hours

consumer case for testing	
the abilities of analysis and	
cogent drafting of orders.	

5. In the said rules, after rule 10 and before Annexure, the following Schedule shall be inserted, namely:-

### "SCHEDULE

[See rule 6(9)]

- The Consumer Protection Act, 2019 (35 of 2019)
- 2. The Legal Metrology Act, 2009 (1 of 2010)
- 3. The Bureau of Indian Standards Act, 2016 (11 of 2016)
- 4. The Competition Act, 2002 (12 of 2003)
- The Food Safety and Standards Act, 2006 (34 of 2006)
- The Drugs and Cosmetics Act, 1940 (23 of 1940)
- 7. The Sale of Goods Act, 1930 (3 of 1930)
- 8. The Real Estate (Regulation and Development) Act, 2016 (16 of 2016)
- 9. The Electricity Act, 2003 (36 of 2003)
- 10. The Insurance Act, 1938 (4 of 1938).".

[F. No. J-18/15/2021-CPU]

ANUPAM MISHRA, Jt. Secy.

Note: The principal rules were published in the Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section 3, Sub-section (i) vide number G.S.R. 452(E), dated the 15<sup>th</sup> July, 2020.